संख्या- 1117/2026/527/22-2-2026-17(1322)/2023

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 20 अगस्त, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जगदीश पुत्र श्री बाबूराम, निवासी जनपद-सीतापुर की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-9469/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-दिनांक 09.02.2026, दिनांक 16.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी जगदीश पुत्र श्री बाबूराम, सदर बाजार, थाना-कोतवाली, जनपद-सीतापुर का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 12.05.2006 को 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बांका, लाठी व डण्डा से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं0-1109/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 323/149, 324/149, 147, 148 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-5 सीतापुर के दण्डादेश दिनांक 29.07.2009 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ, लखनऊ में बंदी की अपील लम्बित है। बंदी द्वारा दिनांक 19.04.2022 तक अपरिहार 13 वर्ष, 09 माह, 27 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 19.04.2022 तक 57 वर्ष, 06 माह है।

3- सिद्धदोष बन्दी जगदीश पुत्र श्री बाबूराम की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा पुर्नविचार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 19.04.2022 तक अपरिहार 13 वर्ष, 09 माह, 27 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 24 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष समयपूर्व रिहाई होने से समाज में प्रतिकूल संदेश जाने तथा पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी जगदीश (बन्दी संख्या-47005) पुत्र श्री बाबूराम, निवासी जनपद-सीतापुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 1117/2026/527(1)/22-2-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार बरेली।

3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है